

समिति की स्पष्ट संस्तुति :-

अधि०अभि०/अधी०अभि० की उपरोक्त संस्तुति के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत 4512 (जी+) भवनों का निर्माण एवं विकास कार्य हेतु कुल व्ययानुमान धनांक रू० 2,72,29,19,858.72 (रू० दो अरब बहत्तर करोड़ उन्तीस लाख उन्नसी हजार आठ सौ अट्ठावन एवं बहत्तर पैसे मात्र) (जी०एस०टी० सहित) की वित्तीय, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के साथ यह कार्य ई०पी०सी० मोड पर उपरोक्तानुसार पृथक-पृथक 06 भागों में ई-निविदा आमंत्रित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(इन्दु शेखर सिंह)
मुख्य अभियन्ता

(राजीव कुमार सिंह)
वित्त नियन्त्रक

(पवन कुमार गंगवार)
सचिव

V.C.

उपाध्यक्ष ल०वि०प्रा०

प्राधिकरण भवन

फाइल नं० 821
दिनांक 21-8-21
संलग्न गोमती नगर

Approved with condition
that include pre-bid conference
provision in the bid process.

(अशोक त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

A.O. Raj Kumar

श्री आदेश कुमार गुप्ता

प्रा.उ.क. को

25/08/21

440/AMK
24/08/21



कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

पत्रांक:- 162/अभ ३०-7/24

दिनांक 05/6/24

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हरदोई रोड स्थित बसन्तकुंज योजना के अन्तर्गत सेक्टर-आई में प्रधानमंत्री आवास योजना के संशोधित पार्ट ले-आउट की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अध्याय-3 के प्रस्तर 3.1.5 के अनुसार वैधता नियमतः दिनांक 05.08.2021 से 04.08.2026 है। वैधता तिथि का विस्तार लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नियमतः तीन वर्षों के लिए होता है। तदक्रम में आवश्यकतानुसार वैधता तिथि के विस्तार हेतु बैठक आहूत की जायेगी।


अधिसासी अभियन्ता जोन-7